

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्या: 20/2020

दायर दिनांक: 02.11.2020

निर्णय दिनांक 24.02.2025

—: अनवान :-

किशनसिंह पुत्र श्री रतनसिंह रावत, निवासी करकरा उसरिया तहसील भीम जिला
राजसमन्द **— अपीलार्थी**

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, भीम जिला राजसमन्द प्रकरण संख्या 10/2020 सरकार बनाम किशन सिंह, निर्णय दिनांक 20.02.2020 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

- 1- श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्त
- 2- श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार भीम जिला राजसमन्द प्रकरण संख्या 10/2020 सरकार बनाम किशन सिंह, निर्णय दिनांक 20.02.2020 से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का बली ने ग्राम करकरा की आराजी खसरा नम्बर 737 रकबा 0-10 बीघा किस्म गै.मु.मगरी पर किशनसिंह के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के मार्फत पेश की गई। जिस पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी किशनसिंह को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.02.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि अतिक्रमी द्वारा रातों-रात अवैध निर्माण किये जाने पर भी उन्हें रोका नहीं जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। उक्त अतिक्रमित स्थल एन.एच. 8 के पास स्थित होकर बेशकीमती सरकारी भूमि है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित कर उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भू



(Handwritten signature)

अभिलेख निरीक्षक को सामग्री को जब्त सरकार कर निलामी करने एवं लगान एक रूपये का पचास गुना 50 रूपये वसूल करने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्त को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्त का वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि मौके पर अपीलार्थी ने अपने निवास हेतु मकान बना रखा है तथा पशुओं के लिये बाड़ा बना रखा है। अपीलार्थी भूतपूर्व सैनिक होने से उसके गांव में निवास हेतु कोई मकान नहीं होने से उक्त भूमि पर अपीलार्थी ने अपना निवास स्थान एवं पशुओं के लिये बाड़ा निर्मित किया है और मात्र 10 विश्वा भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलार्थी इस भूमि पर सदभावी रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग निवास स्थान व पशुओं के लिये बाड़े के रूप में उपयोग कर रहा है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 18.09.2020 को दर्ज किया था तथा इसकी सुनवाई दिनांक 24.02.2020 को नियत की गई थी तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 24.02.2020 को जारी किये गये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में 24.02.2020 का सुनवाई का नोटिस जारी करने के उपरान्त प्रकरण को मनमकसूद तरीके से दिनांक 20.02.2020 को ही निर्णय पारित कर दिया गया और यह कार्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलार्थी को सुने बगैर मनमकसूद तरीके से आदेश पारित किया गया और यह निर्णय तहसीलदार भीम द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत दस्तावेज निर्णय के रूप में तैयार किया है जो विधि के विपरीत है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा आलोच्य आदेश पारित किये जाने पर अपीलार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल आजमेर में निगरानी याचिका अपीलार्थी की निर्माण सामग्री जब्त कर निलाम करने के संबंध में प्रस्तुत की गई। इस पर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 को निगरानी को ग्रहण करते हुए दिनांक 06.03.2020 की निलामी की कार्यवाही पर रोक लगाई गई जो आज भी विचाराधीन है लेकिन आलोच्य आदेश के विरुद्ध विधिनुसार अपील किये जाने के ही प्रावधान होने से यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। यदि तत्कालीन समय में निगरानी याचिका प्रस्तुत नहीं की जाती तो तहसीलदार भीम मनमकसूद तरीके से अपीलार्थी को बेदखल करने एवं उसकी सम्पत्ति को जब्त कर निलाम करने के लिये उतारू था इसलिये राजस्व मण्डल ने निगरानी याचिका तहसीलदार के अवैध कृत्य के संबंध में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है पूर्व में भी वर्ष 2009 में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की गई। जिससे प्रमाणित है कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर वर्षों से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। अपीलान्त का लम्बे समय से कब्जा आधिपत्य होकर अपीलान्त द्वारा भूमि को लागत लगाकर विकसित किया गया है। बाउण्ड्री बनाकर महफूज किया गया है तथा काश्त योग्य बनाया गया है तथा काश्त की जा रही है। अपीलान्त उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटित/नियमन कराने की पात्रता रखता है। फिर भी इस बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनन विचार नहीं किया है और प्रकरण को खारिज करने में भारी विधिक भूल की है। वैसे भी



9

धारा 91 की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है अपीलान्त का वर्षों से कब्जा आधिपत्य होने से धारा 91 की कार्यवाही के जरिये बेदखल नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पदमावती बनाम राज० राज्य के मामले में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उक्त कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और इस कार्यवाही से कब्जेधारी को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। उक्त न्यायिक निर्णय के प्रतिपादित सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुए उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे। उक्त भूमि अपीलार्थी अपने नाम पर नियमन कराने का भी अधिकारी है। राज्य सरकार द्वारा बिलानाम भूमि पर नियमन करने हेतु परिपत्र कमांक-प-6 (7) राज-4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की दिनांक 15.7.1994 से बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया गया है, इसके उपरान्त सन् 2000 से उक्त अवधि बढ़ाकर 2016 प्रशासन गांवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। अपीलार्थी का कब्जा 1985 से भी पूर्व का है और अपीलार्थी का मामला नियमन योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 20.02.2020 को अपास्त फरमाया जावे और उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर आवंटन/नियमन करने के आदेश फरमाये जावे।

अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का बली ने ग्राम करकरा की आराजी खसरा नम्बर 737 रकबा 0-10 बीघा किस्म गै.मु.मगरी पर किशनसिंह के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक के मार्फत पेश की गई। जिस पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी किशनसिंह को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 19.02.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि अतिक्रमी द्वारा रातों-रात अवैध निर्माण किये जाने पर भी उन्हें रोका नहीं जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। उक्त अतिक्रमित स्थल एन.एच. 8 के पास स्थित होकर बेशकीमती सरकारी भूमि है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित कर उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भू अभिलेख निरीक्षक को सामग्री को जप्त सरकार कर निलामी करने एवं लगान एक रूपये का पचास गुना 50 रूपये वसूल करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलान्त को अतिक्रमी मानने में भारी विधिक भूल की है। अपीलान्त का वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि मौके पर अपीलार्थी ने अपने निवास हेतु मकान बना रखा है तथा पशुओं के लिये बाड़ा बना रखा है। अपीलार्थी भूतपूर्व सैनिक होने से उसके गांव में निवास हेतु कोई मकान नहीं होने से उक्त भूमि पर अपीलार्थी ने अपना निवास स्थान एवं पशुओं के लिये बाड़ा निर्मित किया है और मात्र 10 विश्वा भूमि



9

पर अपीलार्थी का कब्जा आधिपत्य है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपीलार्थी इस भूमि पर सद्भावी रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग निवास स्थान व पशुओं के लिये बाड़े के रूप में उपयोग कर रहा है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 18.09.2020 को दर्ज किया था तथा इसकी सुनवाई दिनांक 24.02.2020 को नियत की गई थी तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 24.02.2020 को जारी किये गये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में 24.02.2020 का सुनवाई का नोटिस जारी करने के उपरान्त प्रकरण को मनमकसूद तरीके से दिनांक 20.02.2020 को ही निर्णय पारित कर दिया गया और यह कार्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलार्थी को सुने बगैर मनमकसूद तरीके से आदेश पारित किया गया और यह निर्णय तहसीलदार भीम द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत दस्तावेज निर्णय के रूप में तैयार किया है जो विधि के विपरीत है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 20.02.2020 को अपास्त फरमाया जावे और उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर आवंटन/नियमन करने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का बली ने अपीलार्थी किशनसिंह पुत्र श्री रतनसिंह रावत के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम करकरा की बिलानाम भूमि आराजी संख्या 737 रकबा 55-14 बीघा किस्म मगरी में से 00-10 बीघा भूमि पर किशनसिंह पुत्र श्री रतनसिंह रावत ने अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का बली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2020 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी श्री किशनसिंह पुत्र श्री रतनसिंह रावत को दिनांक 24.02.2020 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। परन्तु किशनसिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध निर्माण जारी रखने से पटवारी हल्का बली व भू-अभिलेख निरीक्षक बली द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 20.02.2020 को बमुकाम ग्राम करकरा के मौका स्थल पर पेश हुई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2020 को ही निर्णय पारित कर दिया गया। जिसकी सूचना श्री किशनसिंह पुत्र श्री रतनसिंह रावत को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के जारी नोटिस की पालना में अतिक्रमी श्री किशन सिंह नियत पेशी दिनांक 24.02.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ एवं इनकी ओर से अधिवक्ता ने भी उपस्थिति दी परन्तु उक्त प्रकरण में नियत पेशी दिनांक से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2020 को ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया।




9

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध प्रश्नगत प्रकरण दिनांक 18.02.2020 को दर्ज किया गया एवं प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2020 का नोटिस जारी किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुचित किये ही दिनांक 20.02.2020 को निर्णय पारित कर दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया की समुचित पालना नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में न्यायिक प्रक्रिया की समुचित पालना नहीं किये जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।


::आदेशः

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.2020 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार भीम को प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर व न्यायिक प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाकर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार भीम को लौटायी जावे।


(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद